



## संसद प्रश्न: अत्यधिक गर्मी की बढ़ती घटनाएँ

प्रविष्टि तिथि: 20 AUG 2025 4:37PM by PIB Delhi

यह देखा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण, भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हीटवेव की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि देखी जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 1961 से 2020 तक के आंकड़ों के आधार पर देश भर में हीटवेव की स्थिति के रुझान का विश्लेषण किया है। सामान्य तौर पर, उत्तरी मैदानों और मध्य भारत को शामिल करने वाले हीट कोर ज़ोन में हीटवेव की आवृत्ति में वृद्धि देखी जा रही है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश भर के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों के साथ मिलकर, गंभीर मौसम की घटनाओं की निगरानी और पूर्व चेतावनी बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। इन प्रयासों ने लू सहित चरम मौसम की घटनाओं के दौरान जान-माल के नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

अत्यधिक तापमान और गर्म लहरों से संबंधित इनमें से कुछ पहल नीचे सूचीबद्ध हैं।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से, हीटवेव की स्थिति से प्रभावित 23 राज्यों में हीट एक्शन प्लान (एचएपी) को संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया गया है।
- मौसमी और मासिक पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं, जिसके बाद तापमान और लू की स्थिति का विस्तृत पूर्वानुमान जारी किया जाता है। समय पर जनता तक पहुँचने के लिए प्रारंभिक चेतावनी और पूर्वानुमान की जानकारी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से भी प्रसारित की जाती है।
- भारत में जिलावार हीटवेव संवेदनशीलता एटलस राज्य सरकार के अधिकारियों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को योजना बनाने में मदद करेगा।
- भारत के गर्म मौसम के खतरे के विश्लेषण मानचित्र में तापमान, हवा के पैटर्न और आर्द्रता के स्तर पर दैनिक डेटा शामिल किया गया है।
- ग्रीष्म ऋतु के शुरू होने से काफी पहले राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हीटवेव तैयारी बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जाती है, तथा ऋतु के दौरान समय-समय पर नियमित समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

मौसम संबंधी जानकारी केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों सहित सभी हितधारकों को प्रदान की जाती है। एनडीएमए द्वारा विकसित कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल (सीएपी) को भी आईएमडी द्वारा चेतावनियों और समय पर अलर्ट प्रसारित करने के लिए लागू किया जा रहा है।

एनडीएमए, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, भारतीय रेलवे, परिवहन विभाग, वन विभाग आदि जैसे विभिन्न केंद्र सरकार के प्राधिकरणों द्वारा नियमित रूप से अंतर-मंत्रालयी समन्वय बैठकें आयोजित की जाती रही हैं। आईएमडी नियमित रूप से इन बैठकों में भाग लेता है और समय-समय पर हीटवेव की स्थिति, पूर्वानुमान और चेतावनियाँ साझा करता है। एनडीएमए विभिन्न हितधारकों के साथ नियमित बैठकें भी आयोजित करता है, जिसमें पूर्वानुमान और जमीनी कार्रवाई के लिए आईएमडी द्वारा प्रदान किए गए पूर्वानुमान का प्रसार किया जाता है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) ने "भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन" शीर्षक से एक जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन किया गया है और क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया गया है।

इसमें क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन के सभी प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें भारत भर में जलवायु परिवर्तन की चरम सीमाएँ भी शामिल हैं। यह रिपोर्ट <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-4327-2> पर उपलब्ध है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के संस्थान, आवश्यक तैयारियों और तटीय राज्यों सहित पूरे देश में अनुकूलन उपायों को समर्थन देने के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों/चैनलों के माध्यम से आपदा प्रबंधन अधिकारियों और आम जनता के साथ मौसम और जलवायु संबंधी जानकारी और पूर्व चेतावनियाँ साझा करने के लिए अत्याधुनिक प्रसार प्रणाली का उपयोग करते हैं। इसमें सोशल मीडिया, कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप और एपीआई शामिल हैं। परिणामस्वरूप, ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों में रहने वाली असुरक्षित आबादी को समय पर सुरक्षित आश्रयों में पहुँचाया जाता है, जिससे मृत्यु दर न्यूनतम हो जाती है।

आईएमडी मौसमी से लेकर वर्तमान पूर्वानुमान तक एक निर्बाध पूर्वानुमान प्रणाली का उपयोग करता है और मौसम संबंधी खतरों की निगरानी एवं पूर्वानुमान के लिए सुपरिभाषित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को लागू करता है। आईएमडी ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अन्य केंद्रों के साथ मिलकर एक संपूर्ण जीआईएस-आधारित निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) विकसित की है, जो देश भर में सभी मौसम संबंधी खतरों का समय पर पता लगाने और निगरानी के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों के अग्रिम मोर्चे के रूप में कार्य कर रही है। यह विशिष्ट गंभीर मौसम मॉड्यूल द्वारा समर्थित है ताकि चक्रवात, भारी वर्षा आदि जैसी चरम मौसम की घटनाओं, जो मानव जीवन, आजीविका और बुनियादी ढांचे को तबाह कर देती हैं, के लिए समय पर प्रभाव-आधारित पूर्व चेतावनी प्रदान की जा सके।

आईएमडी ने तेरह सबसे खतरनाक मौसम संबंधी घटनाओं के लिए एक वेब-आधारित ऑनलाइन "भारत का जलवायु संकट और संवेदनशीलता एटलस" भी जारी किया है, जिनसे व्यापक क्षति और आर्थिक, मानवीय और पशु हानि होती है। इसे <https://imdpune.gov.in/hazardatlas/aboutthazard.html> पर देखा जा सकता है। यह एटलस राज्य सरकार के अधिकारियों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को संवेदनशील शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित हॉटस्पॉट की पहचान करने और चरम मौसम की घटनाओं से निपटने के लिए योजना बनाने और उचित कार्रवाई करने में मदद करेगा। यह उत्पाद जलवायु परिवर्तन के प्रति सजग बुनियादी ढाँचे के निर्माण में सहायक है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) के माध्यम से सहायता हेतु संसाधन उपलब्ध हैं। यदि राज्यों की ओर से वित्तीय सहायता का अनुरोध प्राप्त होता है, तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के लिए प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार उस पर विचार करती है।

वर्तमान में, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ)/राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) सहायता के लिए पात्र आपदाओं की अधिसूचित सूची में 12 आपदाएँ शामिल हैं, अर्थात् चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमला, और शीत दंश एवं शीत लहर। आपदाओं की मौजूदा अधिसूचित सूची में और अधिक आपदाओं को शामिल करने के मुद्दे पर 15वें वित्त आयोग ने विचार किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 8.143 में पाया था कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया शमन कोष (एसडीआरएमएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया शमन कोष (एनडीआरएमएफ) से वित्त पोषण के लिए पात्र अधिसूचित आपदाओं की सूची काफी हद तक राज्य की जरूरतों को पूरा करती है और इसलिए इसका दायरा बढ़ाने के अनुरोध में ज्यादा योग्यता नहीं पाई।

तथापि, राज्य सरकार, कुछ निर्धारित शर्तों और मानदंडों की पूर्ति के अधीन, एसडीआरएफ के वार्षिक निधि आवंटन के 10% तक का उपयोग उन प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए कर सकती है, जिन्हें वे राज्य में स्थानीय संदर्भ में 'आपदा' मानते हैं और जो प्राकृतिक आपदाओं की केंद्रीय अधिसूचित सूची में शामिल नहीं हैं।

वैश्विक जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों का समाधान, ग्रीष्म लहरों के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक है। इसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने और सभी क्षेत्रों में स्थायी प्रथाओं को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। इस दिशा में, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत विकास के लिए निम्न-कार्बन रणनीतियों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार, उनका सक्रिय रूप से पालन कर रहा है।

यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी है।

\*\*\*\*\*

## पीके/केसी/एसजी/एसएस

(रिलीज़ आईडी: 2158585)

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu